

अंतिम तिथि 30.9.2012

कार्यालय आयुक्त उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश शासन,  
सतपुडा भवन, भोपाल

कर्मोंक 403 आउशि / छा.शा. / 12 /  
प्रति,

भोपाल दिनोंक 23/7/12

1. कुल सचिव,  
समस्त विश्वविद्यालय,  
मध्यप्रदेश ।
2. समस्त क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक,  
उच्च शिक्षा,  
इंदोर / भोपाल / ग्वालियर / रीवा / जबलपुर संभाग,  
मध्यप्रदेश ।
3. प्राचार्य,  
समस्त शासकीय महाविद्यालय,  
मध्यप्रदेश ।


विषय:— मध्यप्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग म.प्र. के अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के छात्रों को पीएच.डी. हेतु छात्रवृत्ति का प्रदाय ।

—0—

राज्य शासन द्वारा मध्यप्रदेश के अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिये पी.एच.डी. छात्रवृत्ति वर्ष 2012-13 हेतु छात्र-छात्राओं से आवेदन पत्र आमंत्रित करने के लिये प्रदेश के प्रमुख समाचार पत्रों एवं रोजगार निर्माण में विज्ञापन प्रकाशित किया जा रहा है जिसकी अंतिम तिथि 30.9.2012 निर्धारित की गई है ।

अतः छात्र-छात्राओं के आवेदन अग्रेषित करते समय इस बात का ध्यान अवश्य रखा जावे कि आवेदन पत्र दिनोंक 30.9.2012 तक इस कार्यालय को प्राप्त हो जायें । पत्र के साथ मार्गदर्शी सिध्दांत की प्रति एवं आवेदन पत्र संलग्न कर भेजा जा रहा है । निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जा सकेगा ।

सलग्न:— उपरोक्तानुसार ।

  
(डॉ. व्ही. एस. निरंजन),  
आयुक्त  
उच्च शिक्षा म.प्र.



बेटी है तो कल है

// विज्ञापन //

विश्वविद्यालयों में अध्ययनरत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को पी.एच.डी.के लिए छात्रवृत्ति हेतु ।

योजना वर्ष 2012-13

शिक्षा सत्र 2011-12 से विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों में अध्ययनरत अनुसूचित जाति/जनजाति के विद्यार्थियों को पीएच.डी. के लिए छात्रवृत्ति योजना के अन्तर्गत वर्ष 2012-13 में भी निरंतर जारी रखने का निर्णय लिया है । इस योजना के नियम/मार्गदर्शी सिद्धांत निम्नानुसार होंगे :-

1. पात्रता:- ऐसा उम्मीदवार जो मध्यप्रदेश का मूल निवासी हो, तथा जिसने :-
  - अ. पीएच.डी. के शोध कार्य हेतु भारत के किसी भी विश्वविद्यालय में शोध उपाधि समिति में सप्ताहकार के उपरांत पंजीयन कराया हो एवं पंजीयन प्रमाण पत्र विश्वविद्यालय द्वारा जारी किया गया हो ।
  - ब. स्नातकोत्तर उपाधि में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के नियमानुसार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों ने निर्धारित न्यूनतम अर्हकारी अंक प्राप्त किये हों ।
  - स. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग के विद्यार्थियों का जाति प्रमाण पत्र हो सक्षम अधिकारी से प्राप्त किया हो ।
  - द. छात्र-छात्राओं की पालकों की आय सीमा म.प्र.शासन आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा निर्धारित रूपये 1,00,000/- (रूपये एक लाख) की अधिकतम सीमा से अधिक न हो ।
  - य. शासकीय सेवक (शोधार्थी के पालकों) के वार्षिक आय प्रमाण पत्र संबंधित कार्यालय प्रमुख के द्वारा जारी किया गया हो ।
  - फ. मध्यप्रदेश का मूल निवासी हो जिसका प्रमाण पत्र सक्षम अधिकारी से प्राप्त किया हो ।
2. वही उम्मीदवार पात्र होगा जिसका पंजीयन इन नियमों के जारी होने के बाद वर्ष 2012-13 में हुआ हो ।
3. वि.वि. में पंजीयन अनिवार्य होगा । साथ ही यदि कोई आवेदक पूर्व से शोधरत है तो तीन वर्ष की अधिकतम सीमा के अधीन शोध की शेष (चयनित अवधि) के लिये छात्रवृत्ति देने पर विचार किया जा सकेगा ।
4. छात्रवृत्ति पंजीयन तिथि से 3 वर्ष तक, अथवा शोध कार्य विश्वविद्यालय में जमा किये जाने की दिनांक तक जो पहले हो, देय होगी ।
5. छात्रवृत्ति धारक जिस शोध कार्य के लिये छात्रवृत्ति प्राप्त कर रहा है तो वह कोई अन्य छात्रवृत्ति/वजीफा प्राप्त नहीं करेगा, और न अन्य छात्रवृत्ति हेतु आवेदन करेगा यदि छात्रवृत्ति प्राप्तकर्ता को पूर्व से ही कोई छात्रवृत्ति प्राप्त हो रही है, तो उसे इस छात्रवृत्ति का लाभ उठाने के लिये पूर्व की छात्रवृत्ति प्राप्त हो चुकी है, तो उसे इस में एक ही छात्रवृत्ति की पात्रता होगी । अग्रेषण कर्ता अधिकारी इस बात को सुनिश्चित करने के बाद ही आवेदन पत्रों को अग्रेषित करेंगे ।
6. चयन प्रक्रिया :-



बेटी है तो कल है

12/12

- अ. शोधार्थियों का चयन केवल छात्रवृत्ति की संख्या की सीमा में स्नातकोत्तर स्तर पर प्राप्त अंकों की मेरिट के आधार पर बनाई गई चयन सूची में क्रमानुसार निर्धारित कोटा अथवा सीमा तक किया जावेगा ।
- ब. यदि कोई आवेदक / शोधार्थी संबंधित संकाय में स्नातकोत्तर स्तर पर समान अंक प्राप्त करते हैं तो वहाँ एम.फिल.धारक को एम.फिल में प्राप्त अधिक अंक वाले को प्राथमिकता दी जावेगी ।
- स. यदि दोनों आवेदक एम.फिल हों एवं समान अंक हों तो जिसका पंजीयन पूर्व का है उसमें प्राथमिकता दी जावेगी ।
7. छात्रवृत्ति का नवीनीकरण:- छात्रवृत्ति का नवीनीकरण संभागीय क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक कार्यालय उच्च शिक्षा म.प्र.द्वारा किया जावेगा । छात्रवृत्ति के नवीनीकरण के लिये विश्वविद्यालय/केन्द्र अध्यक्ष द्वारा संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय अतिरिक्त संचालक को निम्न जानकारी शोधार्थी द्वारा दी जावेगी :-
1. वार्षिक आय का प्रमाण पत्र,
  2. पूर्व स्वीकृत छात्रवृत्ति आदेशों की प्रति,
  3. नियमित उपस्थिति पत्रक
  4. संतोष जनक प्रगति प्रतिवेदन
  5. उत्तम आचरण
  6. पूर्व स्वीकृत छात्रवृत्ति का उपयोगिता प्रमाण पत्र इसके बाद ही अगले वर्ष की छात्रवृत्ति देय होगी ।
8. छात्रवृत्ति का नवीनीकरण उक्त आधार पर किया जाकर बजट की माँग संबंधित क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक उच्च शिक्षा द्वारा आयुक्त उच्च शिक्षा म.प्र. से की जावेगी । जो आवश्यकतानुसार संभागीय क्षेत्रीय कार्यालय उच्च शिक्षा मध्यप्रदेश को आवश्यकतानुसार आवंटन कर दी जावेगी । अतः आवेदन पत्र नवीनीकरण हेतु संबंधित क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक उच्च शिक्षा मध्यप्रदेश को ही भेजें ।
9. म.प्र. राज्य के बाहर के विश्वविद्यालयों में पंजीकृत शोधार्थियों को उपरोक्तानुसार शोध कार्य का संतोषजनक प्रगति प्रतिवेदन, उपस्थिति पत्रक, वार्षिक आय का प्रमाण पत्र पूर्व स्वीकृति छात्रवृत्ति आदेश की प्रति एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र अपने निर्देशक/गार्ड से प्रमाणित कराकर विश्वविद्यालय के माध्यम से आयुक्त उच्च शिक्षा म.प्र. भोपाल को विश्वविद्यालय के विनियम/अध्यादेश में उल्लेखित निर्धारित तिथि/अवधि के भीतर भेजना होगा । जानकारी पूर्ण रूप से प्राप्त होने एवं संतोषजनक पाये जाने पर नवीनीकरण क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक उच्च शिक्षा मध्यप्रदेश द्वारा किया जाकर संबंधित विश्वविद्यालय/केन्द्र अध्यक्ष का छात्रवृत्ति की राशि बैंक ड्राफ्ट/चैक के माध्यम से भेजी जावेगी । एवं संबंधित विश्वविद्यालय एवं केन्द्र अध्यक्ष द्वारा यह राशि शोधार्थियों को भुगतान कर जानकारी (प्राप्ति की रसीद के साथ) आयुक्त उच्च शिक्षा म.प्र. को प्रस्तुत करेंगे । यह अनिवार्य होगा कि भुगतान प्राप्ति की सूचना संबंधित शोधार्थी आयुक्त उच्च शिक्षा को प्रेषित करेगा । यह शोधार्थी का भी उत्तरदायित्व होगा । आगामी नवीनीकरण अपेक्षित वितरण एवं भुगतान की जानकारी प्राप्त होने पर ही किया जा सकेगा, अन्यथा नहीं । यह नवीनीकरण के साथ प्रमाणित होना चाहिये । आलोच्य छात्रवृत्ति प्रतिवर्ष 100 विद्यार्थियों को अधिकतम सीमा/कोटे के अधीन रहते हुए अनुसूचित जाति के 44 एवं अनुसूचित जनजाति के 56 विद्यार्थियों को प्रतिमाह रूपये 8,000/- (रूपये आठ हजार मात्र) या समय समय पर शासन द्वारा निर्धारित दर से देय होगी । जिसका निम्नानुसार संकाय वार कोटा निर्धारित किया गया है ।



बेटी है तो कल है

7/7

| सं. | संकाय            | विषय               | अनुसूचित | विषय | अनुसूचित           |    |    |
|-----|------------------|--------------------|----------|------|--------------------|----|----|
| 1.  | कला<br>संकाय     | कला                | 06       | 14   | कला<br>संकाय       | 06 | 18 |
|     |                  | सामाजिक<br>विज्ञान | 08       |      | सामाजिक<br>विज्ञान | 12 |    |
| 2.  | विज्ञान<br>संकाय | विज्ञान            | 06       | 15   | विज्ञान            | 08 | 19 |
|     |                  | गृह<br>विज्ञान     | 03       |      | गृह<br>विज्ञान     | 03 |    |
| 3.  | वाणिज्य<br>संकाय | वाणिज्य            | 08       | 15   | वाणिज्य<br>संकाय   | 11 | 19 |
|     |                  | प्रबंधन            | 03       |      | प्रबंधन            | 03 |    |
|     |                  | विधि               | 04       |      | विधि               | 05 |    |
|     |                  | कुल<br>कोटा        |          | 44   | कुल<br>कोटा        | 56 |    |

नोट:- प्राप्त आवेदन पत्रों की मेरिट सूची संकायवार बनाई जावेगी ।

11. उपरोक्त मापदंडों में संशोधन विचाराधीन है जो मान्य एवं बंधनकारी होगा । अतः आवेदक को आवेदन करने मात्र से कोई अधिकार निर्मित नहीं होगा । ऐसे सभी मामले जिनकी व्यवस्था इन नियमों में नहीं है में आयुक्त उच्च शिक्षा म.प्र. का निर्णय अंतिम एवं मान्य होगा ।
12. आवेदन पत्र में दी गई जानकारी यदि किसी समय भी असत्य पाई गई तो उसके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी ।
13. आवेदन पत्र इस कार्यालय में विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी छात्रवृत्ति उच्च शिक्षा सतपुडा भवन, भोपाल के नाम से दिनांक 30.09.12 तक प्राप्त हो जाना चाहिये । अन्य जानकारी [www.mp.gov.in/highereducationmp](http://www.mp.gov.in/highereducationmp) उच्च शिक्षा विभाग की बैबसाईट पर उपलब्ध है । साथ ही विभाग के क्षेत्रीय सभागीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा/विश्वविद्यालय के कुल सचिव एवं शासकीय महाविद्यालयों के प्राचार्यों से भी प्राप्त की जा सकती है ।
14. निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जायेगा ।

(डॉ. व्ही.एस.निरंजन)  
आयुक्त  
उच्च शिक्षा म.प्र.



बेटी है तो कल है

अंतिम तिथि 30.09.12

नवीन छात्रवृत्ति हेतु आवेदन का प्रारूप  
विश्वविद्यालयों में अध्ययनरत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को पी.एच.डी.  
करने हेतु छात्रवृत्ति आवेदन पत्र वर्ष 2012-13 ।

छात्र का फोटो  
अभिप्रमाणित

संकाय .....विषय..... पंजीयन तिथि.....

|       |  |                               |                                |            |          |            |         |        |
|-------|--|-------------------------------|--------------------------------|------------|----------|------------|---------|--------|
| 1.    | शोध छात्र का पूरा नाम  |                               |                                |            |          |            |         |        |
| 2.    | पिता/अभिभावक का पूरा नाम   |                               |                                |            |          |            |         |        |
| 3.    | विद्यार्थी का पता स्थायी/<br>पत्र व्यवहार का पता दूरभाष कं. सहित   |                               |                                |            |          |            |         |        |
| 4.    | विश्वविद्यालय का पूरा नाम जिसमें आवेदक पंजीकृत है  |                               |                                |            |          |            |         |        |
| 5.    | पीएच.डी. का विषय, शीर्षक   |                               |                                |            |          |            |         |        |
| 6.    | पंजीयन कर्मोंक एवं दिनोंक<br>छाया प्रति संलग्न करें ।  |                               |                                |            |          |            |         |        |
| 7.    | शैक्षणिक योग्यताओं का विवरण सत्यापित सूची संलग्न<br>करें ।   |                               |                                |            |          |            |         |        |
| क्रं. | परीक्षा<br>का<br>नाम   | बोर्ड/विश्वविद्यालय<br>का नाम | परीक्षा<br>उत्तीर्ण<br>का वर्ष | अनुकर्मोंक | पूर्णांक | प्राप्तांक | प्रतिशत | श्रेणी |
| 1.    | 2.   | 3.                            | 4.                             | 5.         | 6.       | 7.         | 8.      | 9.     |
| 8.    | अनुसूचित जाति/जनजाति का प्रमाण पत्र की<br>सत्यापित प्रति कलेक्टर/सक्षम प्राधिकारी द्वारा<br>दिया गया हो ।  |                               |                                |            |          |            |         |        |
| 9.    | म.प्र.का मूल निवासी प्रमाण पत्र जो कलेक्टर/सक्षम<br>अधिकारी द्वारा जारी किया गया हो ।  |                               |                                |            |          |            |         |        |
| 10.   | माता पिता अभिभावक की समस्त स्त्रोंतों से प्राप्त<br>वार्षिक आय प्रमाण पत्र<br>कलेक्टर/तहसीलदार/कार्यालय प्रमुख द्वारा जारी<br>प्रमाण पत्र की मूल प्रति |                               |                                |            |          |            |         |        |
| 11.   | उस महाविद्यालय/विश्वविद्यालय का नाम जिसमें<br>शिक्षा सत्र 2011-12 में परीक्षा उत्तीर्ण की हो । डिग्री<br>/अंकसूची की प्रमाणित प्रति                    |                               |                                |            |          |            |         |        |
| 12.   | पी.एच.डी. की अवधि  |                               |                                |            |          |            |         |        |
| 13.   | शोध केन्द्र का नाम   |                               |                                |            |          |            |         |        |
| 14.   | मार्गदर्शक प्रोफेसर/गाईड/सहमार्गदर्शक (को गाईड<br>का विवरण)1.नाम<br>2.महाविद्यालय/सेवारत संस्थानका नाम 3. पद नाम                                       |                               |                                |            |          |            |         |        |



बेटी है तो कल है

A

घोषणा

1. मैं एतद द्वारा यह घोषित करता हूँ/करती हूँ कि इस आवेदन पत्र में मेरे द्वारा दिये गये विवरण पूर्णतः सत्य हैं ।
2. मैं यह भी घोषित करता हूँ/करती हूँ कि आवेदित छात्रवृत्ति के लिये मेरा चयन किया जाता है तो मैं पूर्ण निष्ठा एवं ईमानदारी से शोध कार्य में संलग्न रहूँगा/रहूँगी । और यह कि मैं किसी अन्य स्रोतों से कोई दूसरी छात्रवृत्ति प्राप्त नहीं करूँगा/करूँगी ।
3. मैं यह भी घोषित करता/करती हूँ कि मैं कोई सेवा या व्यवसाय आदि नहीं करूँगा/करूँगी । यदि राज्य शासन की छात्रवृत्ति में चयन होता है और अन्य छात्रवृत्ति मिलती है तो इस कार्यालय से अनापत्ति प्रमाणपत्र लेकर ही अन्य छात्रवृत्ति ले सकूँगा/सकूँगी ।
4. मैं यह भी घोषित करता हूँ कि यदि मेरे द्वारा शोध अवधि में कहीं नौकरी/व्यवसाय करते हुए पाये जाने पर अर्थात् घोषणा पत्र में दिये गये शर्तों के विपरीत कार्य करने पर शासन द्वारा शोध छात्रवृत्ति में दी गई राशि को वापिस करूँगा/करूँगी ।
5. स्थान :-

दिनांक :-

संलग्न :-सहपत्रों की संख्या

आवेदक के हस्ताक्षर

विश्वविद्यालय का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी .....  
 को दिनांक .....को पीएच.डी.विषय.....  
 .....संकाय.....में  
 नियमित/पूर्णकालिक छात्र के रूप में प्रवेश लिया गया है और इनका शोध कार्य अभी जारी  
 है । मैंने इस आवेदन पत्र की पृथिवस्तियों की जाँच कर ली है वे सही है इनका शोध केन्द्र .....  
 ..... एवं पंजीयन तिथि..... है, ।  
 मैं यह प्रमाणित करता हूँ कि उक्त शोधार्थी का कार्य व्यवहार एवं आचरण  
 अच्छा/उत्तम कोटि का है ।

कुल सचिव/संस्था प्रमुख के  
हस्ताक्षर एवं सील



बेटी है तो कल है